भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2116

(28 जुलाई, 2014 को उत्तर दिए जाने के लिए)

आई.ए.पी जिलों में संपर्क संबंधी मानक

2116. श्री भूपिंदर सिंहः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ओडिशा के 18 एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) जिलों में 100 और उससे अधिक की आबादी और राज्य के 12 गैर-एकीकृत कार्य योजना जिले में 250 और उससे अधिक की आबादी वाले बिना संपर्क के पर्यावासों को संपर्क उपलब्ध कराने हेतु, मानकों में छूट देने पर विचार करेगी; और

(ख) क्या सरकार उस राज्य सहित देश में आई ए पी जिलों में प्रचलित दर अनुसूची पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) कार्यों के बिना प्रत्युत्तर वाले पैकेज को पुनः मंजूरी देने पर भी विचार करेगी?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री उपेन्द्र कुशवाहा)

(क) फिलहाल सरकार ओडिशा के 18 समेकित कार्य योजना (आईएपी) जिलों में 100 व्यक्तियों और इससे अधिक की आबादी तथा उस राज्य के अन्य 12 जिलों में 250 व्यक्तियों और इससे अधिक की आबादी वाली सड़क संपर्कविहीन बसावटों को सड़क से जोड़ने के लिए मानकों में छूट देने के विषय में विचार नहीं कर रही है। "ग्रामीण सड़कें" राज्य का विषय है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़कों के निर्माण द्वारा आर्थिक और सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराकर ग्रामीण अवसंरचना में सुधार के लिए केंद्र सरकार का एकबारगी विशेष कार्यक्रम है। गृह मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा निर्धारित समेकित कार्य योजना (आईएपी) के अंतर्गत

राज्यों के चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों की विकास संबंधी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समेकित कार्य योजना (ओडिशा के 25 में से 18 जिले आईएपी जिले हैं) जिलों में 250 से अधिक आबादी वाली पात्र सड़क संपर्कविहीन बसावटों को सड़कों से जोड़ने के लिए सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के मानदंडों में पहले ही छूट दे दी गई है। इसके अतिरिक्त वामपंथी उग्रवाद से अत्यधिक प्रभावित ब्लॉकों (गृह मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित) में 100 से 249 व्यक्तियों की आबादी वाली बसावटों को सड़कों से जोड़ने की अतिरिक्त छूट भी दे दी गई है। ओडिशा के 18 आईएपी जिलों के 38 निर्धारित ब्लॉक इस अतिरिक्त छूट में शामिल हैं।

(ख) : सरकार फिलहाल उन आईएपी जिलों में मौजूदा दर सूची के आधार पर पीएमजीएसवाई कार्यों की पैकेज पुन: स्वीकृत करने के विषय में विचार नहीं कर रही है, जिन जिलों में इन कार्यों के लिए निविदाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, आईएपी जिलों में स्वीकृत पीएमजीएसवाई सड़क परियोजनाओं के लिए राज्यों द्वारा बार-बार निविदा सूचनाएं जारी किए जाने के बावजूद निविदाएं न प्राप्त होने के कारण पीएमजीएसवाई कार्यों के ठेके न दिए जाने की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने चुनिंदा 27 महत्वपूर्ण आईएपी जिलों (ओडिशा के 6 आईएपी जिलों सहित) में निविदा सूचनाओं के जवाब में निविदाएं प्राप्त न होने पर पीएमजीएसवाई कार्यों के ठेके देने के लिए विशेष छूट दे दी है। स्वीकृत पीएमजीएसवाई कार्यों के शीघ्र समापन के उद्देश्य से राज्यों को अनुमति दी गई है कि वे बार-बार (कम से कम दो बार) किए गए प्रयासों के बावजूद कोई निविदा प्राप्त न होने पर नामांकन आधार पर ऐसे ठेके दे सकते हैं। इस विषय में निर्णय संबंधित जिले के जिलाधीश/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति लेगी, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, डीएफओ और राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एसआरआरडीए) के प्रतिनिधि के रूप में पीएमजीएसवाई परियोजना के संबंधित परियोजना कार्यान्वयन एकक (पीआईयू) के प्रमुख शामिल होंगे।

*****